न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– हरि मोहन मीना, I.A.S.

अपील संख्या–03 / 2022 (सू0 का अधि0)

श्री दीपचन्द शर्मा, आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट वार्ड नं. 14, दांतारामगढ सीकर 332703

–अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा

–प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 17 / 05 / 2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दीपचन्द शर्मा, आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट वार्ड नं. 14, दांतारामगढ सीकर राज0 ने दिनांक 27.01.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहाँ एक प्रार्थना पत्र जरिये डाक से प्रेषित कर मंत्रीमण्डल सचिवालय के वरिष्ठ सलाहकार श्री कैलाशचंद गुप्ता ने जिला कलक्टर सीकर एवं कोटा को प्रेषित पत्रांक प.25(3) मं म / 2017 / पार्ट–1 दिनांक 17.01.2022 के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी कि उक्त पत्र दिनांक 17.01.2022 आपके कार्यालय में किस दिनांक व समय किन दस्तावेजी के साथ प्राप्त हुआ तथा उक्त पत्र के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी व नोटिंग व पत्रों की प्रतियां चाही गई है।

उपरोक्त सूचना समय पर नहीं मिलने के कारण प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 11.04.2022 को दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थी को भी सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पत्रांक/ सूचना/ (प–37 / 22)/2022/317 दिनांक 26.04.2022 से टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा आवेदन में वर्णित बिन्दु की सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी सामान्य एवं आमद अनुभाग से सम्बन्धित होने के कारण संबंधित अनुभाग को पत्र लिखा गया । प्रभारी अधिकारी सामान्य एवं आमद अनुभाग से सूचना प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूचना/प–37/2022/224 दिनांक 25.2.2022 से सूचना आवेदक को जर्ये डाक से प्रेषित की जा चुकी है तथा चाही गई सूचना से उपरोक्तानुसार आवेदक को अवगत करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर

जिला कलेक्टर
कोटा

कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अतः अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के पत्र दिनांक 26.04.2022 का अवलोकन किया । जिस अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 से चाही गई सूचना में मंत्रीमण्डल सचिवालय के वरिष्ठ सलाहकार श्री कैलाशचंद गुप्ता ने जिला कलक्टर सीकर एवं कोटा को पत्रांक प.25(3) मं म/2017/ पार्ट–1 दिनांक 17.01.2022 प्रभारी अधिकारी समान्य अनुभाग एवं आमद अनुभाग की रिपोर्ट अनुसार उक्त पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होना ही नहीं पाया गया है, इस हेतु पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा उक्त पत्र के सम्बन्ध में चाही गई बिन्दुवाईज सूचना नहीं दी जा सकी है । पत्र प्राप्त नहीं होने बाबत सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर द्वारा अपने पत्रांक/224 दिनांक 25.2.2022 से प्रार्थी अपीलार्थी को दी जा चुकी है ।

परिणामस्वरूप लोक सूचना अधिकारी अपीलार्थी के आवेदन के सम्बन्ध में उनके द्वारा चाही गई सूचना के बारे में जानकारी दी जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अब कोई कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी स्तर पर लम्बित नहीं होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को लिखाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा